



दिनांक 27.11.2022

प्रेस विज्ञप्ति 27/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद एटा/थाना राजा का रामपुर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की घटना का अनावरण
- चोरी के लगभग 45 लाख 46 हजार 620 रुपये कीमत के सोने-चौदी के आभूषण
- चोरी के 05 लाख 53 हजार 500 रुपये नगद बरामद

दिनांक: 27.11.2022 को थाना राजा का रामपुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मढीया चौराहा से 02 अभियुक्तों 1-मुनेन्द्र 2-गौरव को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 45 लाख 46 हजार 620 रुपये कीमत के सोने-चौदी के आभूषण, 05 लाख 53 हजार 500 रुपये नगद शतप्रतिशत बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 20/21.11.2022 को थाना राजा का रामपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना राजा का रामपुर पर मु0अ0सं0-91/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रुपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना राजा का रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-मुनेन्द्र निवासी गढी रानी साहिबा थाना राजा का रामपुर जनपद एटा।

2-गौरव निवासी मोहल्ला गडी वेशायन कस्बा व थाना राजा का रामपुर जनपद एटा।

बरामदगी

- 1—चोरी के लगभग 45 लाख 46 हजार 620 रुपये कीमत के सोने—चौदी के आभूषण।
- 2—चोरी के 05 लाख 53 हजार 500 रुपये नगद।

जनपद बाराबंकी / थाना हैदरगढ़

15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 27.11.2022 को थाना हैदरगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मवैया चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोठी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—37 / 2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुनील कुमार निवासी ग्राम भवानीपुर, सारी जहांगीरपट्टी थाना सरपतहा जनपद जौनपुर।

जनपद पीलीभीत / थाना न्यूरिया

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 27.11.2022 को थाना न्यूरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टोडरपुर तिराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त हरदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना अमरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-268/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना न्यूरिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-हरदीप निवासी ग्राम जमनिया थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

• पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 26.11.2022 को थाना गुलावठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अकबर झोझा के पास बाग में मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जाने से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त वसीम उर्फ कालिया घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़, गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास,

सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वसीम उर्फ कालिया निवासी मोहल्ला तीरखों थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई

पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 26.11.2022 को थाना डिबाई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धर्मपुर रोड पर गोविन्दापुर फाटक के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुनील घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद हरदोई, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सुनील निवासी ग्राम रामपुर जोगराजपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़फ

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

2-01 मोटर साइकिल।

जनपद बिजनौर/थाना शिवालाकलां

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 05 मोटर साइकिल

• 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 27.11.2022 को थाना शिवालाकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेवाधाम महाविद्यालय से खैरपुर जाने वाले तिराहे पर आम के बाग में बनी कोठरी से 02 अभियुक्तों 1-सोनू 2-राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सोनू निवासी ग्राम पहाडपुर थाना धनौरा जनपद अमरोहा।

2-राहुल निवासी ग्राम नलपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर हपल पता-ग्राम लखीपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1-चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2-01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद इटावा/थाना कोतवाली

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- धोखाधड़ी के 34 हजार रुपये नगद
 - 05 एटीएम कार्ड
 - 05 मोबाइल फोन
- 04 फर्जी हेल्प लाइन स्टीकर
- 01 चार पहिया वाहन
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 27.11.2022 को थाना कोतवाली व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भरथना ओवर ब्रिज के नीचे से 04 अभियुक्तों 1—रामकुमार 2—देवेश 3—तरुण 4—दिनेश उर्फ डब्लू उर्फ राम विलास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 34 हजार रुपये नगद, 05 एटीएम कार्ड, 05 मोबाइल फोन, 04 फर्जी हेल्प लाइन स्टीकर, 01 चार पहिया वाहन 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा एटीएम मशीन पर जाकर पहले फर्जी व कूटरचित हेल्पलाइन नम्बर की स्लिप एटीएम मशीन पर चिपका देते हैं और सहायता करने के नाम पर धोखाधड़ी करके उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामकुमार निवासी ग्राम पोरा थाना सिकन्दरा राऊ जनपद हाथरस।

2—देवेश निवासी ग्राम पोरा थाना सिकन्दरा राऊ जनपद हाथरस।

3—तरुण निवासी ग्राम पोरा थाना सिकन्दरा राऊ जनपद हाथरस।

4—दिनेश उर्फ डब्लू उर्फ रामविलास निवासी ग्राम पोरा थाना सिकन्दरा राऊ जनपद हाथरस।

बरामदगी

- 1-धोखाधड़ी के 34 हजार रुपये नगद ।
 - 2-05 एटीएम कार्ड ।
 - 3-05 मोबाइल फोन ।
 - 4-04 फर्जी हेल्प लाइन स्टीकर ।
 - 5-01 चार पहिया वाहन ।
 - 6-02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि ।
-